बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–19/2024 4153(s) **पटना, दिनांक** 16/6/28

योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक–3902 दिनांक–15.07.2024 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–4941 (एस) अनु0 दिनांक–07.10.2024 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(1) विभाग, प्रमंडल, जिला स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के ससमय कार्यान्वय हेतु दिनांक–02.03.2024 एवं दिनांक–15.04.2024 को जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक निर्धारित की गयी थी, जिसमें कार्यपालक अभियंता के साथ–साथ कार्य प्रमंडल, बक्सर में पदस्थापित/कार्यरत किसी भी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता के द्वारा बगैर पूर्व सूचना के बैठक में भाग नहीं लिया गया, जिसके कारण योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। 16वीं विधानसभा की अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग से बार–बार निदेश प्राप्त हो रहे हैं।

(2) कार्यालय कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाता है, इनके द्वारा अपना सम्पर्क नम्बर किसी को नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आवश्यक कार्य के दौरान भी इनसे सम्पर्क नहीं हो पाता है।

(3) जिला योजना कार्यालय से निर्गत महत्वपूर्ण विषयों/बिन्दुओं से संबंधित पत्र विशेषकर जिस पर कार्रवाई आवश्यक है का ससमय जबाव कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण विभाग से प्राप्त निदेश का अनुपालन नहीं हो पाता है। विभागीय निदेश के आलोक में जिला योजना कार्यालय के पत्र संख्या–21–0232, दिनांक–06.04.2024 के द्वारा 16वीं लोकसभा के बैंक खाते को बंद करते हुए अवशेष अव्यवहृत राशि का वापस करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु कृत कार्रवाई की सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण 16 वीं लोकसभा हेतु संधारित बैंक खाते को अबतक बंद नहीं किया जा सका है। इसी क्रम में श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री आर०के० सिंह, श्री विवेक ठाकुर, सभी माननीय राज्यसभा सांसद, जिनका नोडल जिला क्रमशः मोतिहारी एवं पटना है, का बैंक खाता बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है परन्तु बार–बार स्मार पत्र देने के बावजूद भी इनके द्वारा खाता बंद करके अव्यवहृत अवशेष राशि वापस नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण खाता बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि नोडल जिलों को वापस नहीं किया जा रहा है, जबकि विभागीय निदेशानुसार सभी बैंक खातों को बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि को 31 मार्च 2024 तक CAN खाता में वापस किया जाना था।

(4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ई–साक्षी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता को दिनांक–04.04.2024 को चेकर का दायित्व सौंपा गया है, परन्तु इनके द्वारा 17वीं विधान सभा से संबंधित योजनाएँ पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योजनाओं का भुगतान लंबित है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि वो चेकर का कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत काम है।

(5) जिला पदाधिकारी एवं अन्य माध्यमों द्वारा जिला योजना कार्यालय को प्रेषित कार्य प्रमंडल, बक्सर से संबंधित परिवाद पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता को भेजे जाने पर उनके द्वारा

(18) आई० टी० मैनेजर

कोई कार्रवाई नहीं की जाती है एवं न ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को बार–बार स्मारित भी किया जाता है।

(6) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता को बार–बार निदेश दिया जाता रहा है। इसके बावजूद भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 16वीं विधानसभा की 11 योजनाओं को अब तक अपूर्ण रखा गया है। इसी प्रकार 17वीं लोकसभा की 07 योजनाएँ जो लगभग 01 वर्ष पूर्व से स्वीकृत है, को पूर्ण नहीं किया गया है।

(7) अपीलवाद अनन्य संख्या–530118005012400912/1A वर्ष 2024 में अपर समाहर्त्ता (लो०शि०नि०)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.04.2024 संसूचित ज्ञापांक–135/लो०शि०नि० दिनांक–04.05.2024 में उल्लेखित है कि जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो का उल्लंघन करते हुए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर द्वारा सरकारी भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद परिवादी की निजी रैयती भूमि पर योजना का कार्य कराया गया है जो उनकी कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है तथा सरकारी राशि (Public Money) का अपव्यय, दुरूपयोग व दुर्विनियोग है, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर समान रूप से दोषी है। साथ ही कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आवश्यक विधि–सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई हेतु जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया। तदालोक में जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–21–0278/जि०यो० दिनांक–08.05.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जो अब तक अप्राप्त है।

(8) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक अभियंता पदाधिकारी, जिला परिषद् बक्सर द्वारा कार्यालय ज्ञापांक–68 दिनांक–11.05.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर–सह–जिला अभियंता, जिला परिषद्, बक्सर से जिला परिषद् की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् राशि विमुक्ति हेतु मापी–पुस्त एवं विपत्र अद्यतन कर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित उक्त आरोप के संबंध में श्री प्रसाद के अभ्यावेदन दिनांक–12.03.2025 के द्वारा कंडिकावार बचाव का लिखित अभिकथन विभाग समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर विभागीय पत्रांक–4034 (एस) अनु0 दिनांक–22.05.2025 के द्वारा योजना एवं विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में स्मारोपरांत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–33 दिनांक–08.01.2026 के द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त मंतव्य की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसकी विभाग स्तर से समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित कुल आठ आरोपों में से उक्त आरोप सं0–(1), (2), (4), (5), (6) एवं (8) के संबंध श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नही पाया गया तथा आरोप सं0–(3) एवं (7) के संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक–12.03.2025 को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) **"संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक"**

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

ज्ञापांक :— निग / सारा— (यो0 एवं वि0) आरोप—19 / 2024 पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा— (यो0 एवं वि0) आरोप—19 / 2024 पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा—आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0—यथोक्त।

ह० / —

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा— (यो0 एवं वि0) आरोप—19 / 2024 पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपि :— सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव / अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर / उप सचिव, मुख्यालय / अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1 / 2 / 6 / 13 / 14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा— (यो0 एवं वि0) आरोप—19 / 2024 4154 पटना, दिनांक 16/6/26

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16-6-26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16.06.26

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH